न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **39/22 (वि.प्रा.पत्र)**
GCMS No : 2022/136

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी किशनलाल गुर्जर निवासी साकरोदा तह. मावली।

............प्रार्थीयां

बनाम्

1. श्री उदयलाल पिता देवीलाल गुर्जर निवासी खारबाई की कुई, देवाली तह. गिर्वा।
2. श्री चर्तुभुज पिता देवीलाल गुर्जर निवासी खारबाई की कुई, देवाली तह. गिर्वा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.11.2022

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 46, 47, 48 किता 3 रकबा 1.2059 हेक्टेयर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 49, 50, 52, 53, 54 किता 5 रकबा 2.9138 हेक्टेयर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।

2. यह कि मुझ प्रार्थीया की परिशिष्ट अ व ब में वर्णित भूमियों के दक्षिण दिशा में विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिकार आधिपत्य वाले एवं खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 343 रकबा 3.6907 हेक्टेयर स्थित हैं। यह कि प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात के दक्षिण से उत्तर पूर्वी दिशा की पाली में जो रास्ता वर्तमान में स्थित है अर्थात् प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शें के दक्षिण से उत्तर में पूर्वी दिशा की पाली पर एक रास्ता वर्षों से बना हुआ है जिसे लाल स्याही से डोटेड कर रखा है और इसी रास्ते से में प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी की आराजीयात में आती जाती हूं और अपनी फसल टेक्ट्रर इत्यादि से लाती ले जाती आ रही हूं और उक्त रास्ते के अलावा मेरी उक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। मूझ प्रार्थीया ने करीबन 20 वर्ष पूर्व अपनी उक्त वर्णित आराजीयात धुलचन्द, प्यारेलाल, शंकर, अम्बालाल, खुमाण कुम्हार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया और खरीद के समय से इसी रास्ते से अपनी भूमि में आ जा रही हूं और प्रतिवर्ष फसल बो व काटकर लाती आ रही हूं जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को है। उक्त आराजीयात के विक्रेतागण भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु करते थे और विपक्षीगण ने भी उक्त वर्णित आराजी नम्बर 343 को नाथु एवं नारायण ब्राहम्ण निवासी मोगाणा से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था और इनके विक्रेता ने भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करने में कभी दखल नही दी एवं शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करते रहे हैं। इसी रास्ते का उपयोग उपभोग लक्ष्मण, मोहन व स्व. गोटूलाल पिता मोतीजी ब्राहम्ण निवासी साकरोदा अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु कर रहे है जिनकी आराजीयात मुझ प्रार्थीया की आराजी के पूर्वी पाली पर स्थित है जिसे इन्होने भंवरलाल पिता प्रतापजी धाबाई निवासी उदयपुर से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त खरीद की लिखापढी स्टाम्प पर भी उक्त रास्ते का अंकन स्व. भंवरलाल ने किया हैं। अप्रार्थीगण के विक्रेता नाथु नारायण ने भी उक्त रास्ता के उपयोग उप[illegible]र्थीया एवं लक्ष्मण मोहन गोटू पिता मोती को कभी रास्ते के उपयोग उपभो[illegible] बाधा उत्पन्न नहीं की हैं वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर रास्ता बना हुआ है एक तरफ बाड व एक तरफ मेडबंदी है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है व इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मेरी आराजीयात में आने जाने का नहीं हैं व विगत 20 से अधिक वर्षों से मे प्रार्थीया उक्त रास्ते से ही अपनी आराजीयात में आ जा रही हूं और अपनी कृषि भूमि उपज, खाद बीज आदि लाने ले जाने के लिए ट्रेक्टर, ट्रक आदि लाती ले जाती आ रही हूं व इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मेरी आराजीयात में आने जाने हेतु नहीं है जिसे रास्ता के रूप में घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त रास्ता की नियमानुसार जो भी राशि बनती है वो में न्यायालय में जमा करवाने को तैयार हूं।

3. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि परिशिष्ट अ व ब में वर्णित मुझ प्रार्थीया के अधिकार आधिपत्य कब्जे एवं खातेदारी की भूमि में आने जाने का रेकार्डेड कोई रास्ता नहीं है, सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि मुझ प्रार्थी की आराजीयात के दक्षिण से उत्तर पूर्वी पाली की दिशा में स्थित जो रास्ता वर्तमान में स्थित है और इसी रास्ते से आती जाती हूं और अपनी बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाती ले जाती आ रही हूं और उक्त रास्ते के अलावा मेरी आराजीयात में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है परन्तु उक्त रास्ता रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने से एवं मौके पर विपक्षीगण द्वारा रास्ता बन्द कर देने से जो क्षति मुझे हो रही है उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव है और राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ता अंकन होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।

4. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.03.2022 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थीयां को विपक्षीगण ने उक्त रास्ता बन्द [illegible] प्रयोग उपभोग करने से रोक दिया उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया के पक्ष में और विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर का आदेश जारी फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के दक्षिण से उत्तर पूर्वी दिशा की पाली में जो रास्ता वर्षों से बना हुआ है जिसे लाल स्याही से डोटेड कर रखा है जो रास्ता मेरी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता है व इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता के रूप में न्यायहित में घोषित फरमाया जाना आवश्यक है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है व इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मेरी आराजीयात में आने जाने का नहीं है, उक्त रास्ता की नियमानुसार जो भी राशि बनती है वो मै न्यायालय में जमा करवाने को तैयार हूं।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का कहना है कि प्रार्थीया करीबन 20 वर्ष पूर्व अपनी उक्त वर्णित आराजी की भूमि धुलचन्द, प्यारेलाल, शंकरलाल, अम्बालाल, खुमाण कुम्हार आदि से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हो तथा खरीद के समय से इसी रास्ते से आना जाना और प्रतिवर्ष फसल काटकर लाना ले जाना सारे तथ्य प्रार्थीया ने गलत व काल्पनिक अंकित किया है। इसी तरह विपक्षी की खातेदारी की आराजी की भूमि से विक्रेतागण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आना भी गलत होने से अस्वीकार हैं। आराजी नम्बर 343 को विपक्षी ने नाथु एवं नारायण ब्राहम्ण से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है लेकिन आराजी नम्बर 343 में होकर प्रार्थीया या उसके पूर्वाधिकारी का आना जाना कभी नहीं रहा हैं। प्रार्थीया ने आराजी नम्बर 343 में उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में कभी भी उपयोग उपभोग नहीं किया है न ही [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि प्रार्थीया का यह कहना कि उक्त रास्ता भंवरलाल पिता प्रताप जी धाभाई से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, यदि ऐसी कोई लिखापढी प्रार्थीया बताती हैं तो कानूनी तौर पर उसकी कोई वैधता नहीं है न ही ऐसे अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया को कोइ अधिकार प्राप्त होते है और न ही ऐसी किसी लिखतम से विपक्षीगण किसी तरह से बाध्य है न ही विपक्षीगण के विरूद्व ऐसी लिखतम को पढा जा सकता है। नाथु, नारायण द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में प्रार्थीया एवं लक्ष्मण, मोहन को कभी भी रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करना, वर्तमान में रास्ता बना होना आदि तथ्य गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीया के खेत में आने जाने का न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी संख्या 46 व 49 के उत्तरी दिशा में स्थित आराजी नम्बर 45 से होकर आगे आराजी नम्बर 34 व 31 किस्म रास्ता होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा प्रार्थीया एव उनके पूर्वाधिकारी उसी रास्ते से होकर हमेशान कदीम से आते जाते रहे है विपक्षी की खातेदारी की आराजी में होकर प्रार्थीया एवं उनके पूर्वाधिकारी कभी भी आते जाते नहीं रहे है न ही न्यूनतम दूरी का रास्ता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया विपक्षीगण के उक्त खातेदारी की आराजी में किसी तरह का रास्ता कानूनन प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं।

8. यह कि प्रार्थीया का न तो प्रथम दृष्टया केस है न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है और न ही प्रार्थीया की आराजीयात के दक्षिणी से उत्तर पूर्वी पाली की दिशा में वर्तमान में कोई रास्ता स्थित है न ही विपक्षी की खातेदारी की भूमि में से होकर प्रार्थीया आती जाती रही है न ही बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाती ले जाती रही है तथा विपक्षी के आराजी की भूमि में होकर आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीया के लिए नहीं है और न ही न्यूनतम दूरी का रास्ता विपक्षीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी की भूमि में है प्रार्थीया के आने जाने का रास्ता जो न्यूनतम दूरी का है वो प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी संख्या 46 के उत्तरी दिशा में स्थित आराजी संख्या 36 से आगे आराजी नम्बर 34 व 31 में स्थित है ऐसी अवस्था में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए में उपबन्धित प्रावधानों के चलते चलने योग्य नहीं हैं। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय अनुतोष व विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

9. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

10. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा दौराने बहस नजरी नक्शा पेश कर आराजी नम्बर 71 बिलानाम रास्ता होना बताया जो प्रार्थी के लिए कम दूरी का होना बताकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। जबकि अधिवक्ता प्रार्थीया अपनी बहस में आराजी नम्बर 71 की नकल पेश कर कहा कि आराजी नम्बर 71 बिलानाम रास्ता नहीं होकर किस्म नाली के रूप में दर्ज हैं, जिसका उपयोग रास्ते के रूप में नहीं किया जा सकता हैं, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

   1. क्या प्रार्थीया खातेदार की अपनी [illegible] भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा [illegible] आवश्यकता हैं ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को अपनी आराजी नम्बर 46 से 50, 52 से 54 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

2. क्या प्रार्थीया खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीया खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौडाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया विपक्षीगण के आराजी नम्बर 343 में से 0.0960 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 4 फीट चौडी हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 8,67,190/– अक्षरे आठ लाख सतसठ हजार एक सौ नब्बे रूपयें प्रति हैक्टेयर हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0960 हेक्टेयर की कुल कीमत 83,251/– अक्षरे तियासी हजार दौ सौ इक्यावन रूपयें होना बताया हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीया अपनी भूमि मौजा साकरोदा पटवार क्षैत्र साकरोदा की आराजी नम्बर 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 343 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। उक्त रास्ता वर्षो से बना होकर वादग्रस्त आराजीयात के दक्षिण दिशा में होना बताकर प्रार्थीया द्वारा पूर्व से ही इसका उपयोग उपभोग करना बताया है जो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 4 मीटर चौडाई का आराजी नम्बर 343 रकबा 3.6907 हेक्टेयर मे से 0.0960 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 0.0960 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा साकरोदा पटवार क्षैत्र साकरोदा की आराजी नम्बर 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 343 रकबा 3.6907 हेक्टेयर में से 0.0960 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 4 मीटर चौडाई का रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 8,67,190/— अक्षरे आठ लाख सतसठ हजार एक सौ नब्बे रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0960 हेक्टेयर की कुल कीमत 83,251/— का दुगुना 1,66,502/— रूपयें अक्षरे एक लाख छियासठ हजार पॉच सौ दौ रूपयें राशि प्रार्थीया से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 2 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली